उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या: 36/2018/1084 /दो-2-2018-19/2(1)/16
लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च,2018

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतर वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रू0-37,400-67,000 ग्रेड पे रू0-8,900/- में पदोन्नति हेतु दिनांक 18.02.2016 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। तत्समय श्री केदार नाथ सिंह, पी0सी0एस0 सम्प्रति आई0ए0एस0 के विरूद्ध शासन के आदेश दिनांक 29.01.2015 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित/प्रचलित होने के कारण उक्त वेतनमान में श्री सिंह की प्रोन्नति नहीं हो सकी तथा श्री केदार सिंह के सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति की संस्तुति मोहर बन्द लिफाफे में रखी गयी, जबकि इनसे कनिष्ठ अधिकारियों को दिनांक 23.02.2016 से उच्चतर वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रू0-37,400-67,000 ग्रेड पे रू0-89,00/- में प्रोन्नत किया गया। श्री केदार नाथ सिंह के विरूद्ध प्रचलित उक्त विभागीय कार्यवाही शासन के आदेश दिनांक 02.02.2018 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 18.02.2016 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में समिति द्वारा मोहर बन्द लिफाफे में की गई संस्तुति के द्रष्टिगत श्री केदार नाथ सिंह, आई0ए0एस0 को उच्चतर वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रू0-37,400-67,000 ग्रेड पे रू0-89,00/- में उनके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 23.02.2016 से प्राकल्पिक प्रोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्राकल्पिक प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री केदार नाथ सिंह, पी0सी0एस0 को कार्यालय ज्ञाप सं0-13/21/89-का-1-1997, दि0-28.5.1997 में निहित व्यवस्थानुसार प्राकल्पिक प्रोन्नति की तिथि 23.2.2016 से एरियर भी देय होगा।

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को सरकारी राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
[redacted]युक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची) अनुभाग, उ0प्र0शासन।
[redacted] केदार नाथ सिंह, आई0ए0एस0, मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात।
6. नियुक्ति अनुभाग-1/3/5/7
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।